राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 01/2024

निर्णय दिनांक :– 9/5/2024.

प्रार्थी :–

संजय कुमार पुत्र रतारामजी, उम्र– वयस्क, जाति– मेघवाल
निवासी – गुडा आसकरण, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :–

उपस्थिति:–

1. श्री श्रवणसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शंकरलाल परिहार, नायब तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

निर्णय

दिनांक :– 9/5/2024.

प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ ग्राम अणेवा की खाता संख्या 148 जमाबंदी सम्वत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 811/3 रकबा 1.2000 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि में आने जाने के लिए रास्ते हेतु नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार पडौस स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1012/811 रकबा 42.7200 हेक्टर किस्म गे.मु. पहाड, खसरा नम्बर 1014/741 रकबा 1.9907 हेक्टर किस्म गे.मु. पहाड, खसरा नम्बर 1015/741 रकबा 0.0432 हेक्टर किस्म गे.मु. पहाड़ में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग की गई है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/रीडर/2024/236 दिनांक 26.03.2024को लिखा गया। तहसीलदार देसूरी से दिनांक 04.04.2024 एवं 01.05.2024 को मौका जाचं रिर्पोट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

9.5.2024
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 02 पर...

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/2024/662 दिनांक 04.04.2024 एवं पत्रांक/839 दिनांक 01.05.2024 के जरिये पटवार हल्का लाम्पी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक डायलानाकंला से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की अनुशंषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. यह कि मौजा ग्राम अणेवा के पटवार मण्डल लाम्पी के खसरा नम्बर 811/3 रकबा 1.20 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है।
2. यह कि वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 811/3 में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।
3. यह कि प्रार्थी न अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ते के लिए खसरा नम्बर क्रमशः 1012/811, 1014/741, 1015/741 रकबा 42.72, 1.99, 0.0432 हेक्टर किस्म गे.मु. पहाड़ की माठ के सहारे–सहारे मांग की है। प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
4. यह कि प्रस्तावित भूमि रास्ते के लिए आने–जाने हेतु काबिल है।
5. यह कि प्रस्तावित भूमि वन भूमि नहीं है। राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 01 में राजकीय सिवायचक दर्ज है।
6. यह कि खसरा नम्बर 1015/741 रकबा 0.0432 हेक्टर किस्म गे.मु. पहाड जो कि रास्ते हेतु राजस्व रेकर्ड दर्ज है।
7. यह कि प्रार्थी को ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 1014/741 रकबा 1.99 हेक्टर में से 132 x 9 = 1188 + 521.61 = 1709.6 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 1012/811 रकबा 42.72 हेक्टर में से 449.54 + 954 = 1403.54 वर्गमीटर अर्थात कुल 1709.61 + 1403.54 = 3113.15 वर्गमीटर भूमि का रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार माठ के सहारे–सहारे दिया जाना उचित है।
8. प्रस्तावित रास्ते की भूमि पंजीयन बाजार दर 162522/– प्रति हेक्टर है। जिसके अनुसार प्रभावित रास्ते ग्राम अणेवा का रकबा 3113.15 वर्गमीटर की राशि रूपये 50600/– बनती है। जिसकी डबल राशि रूपये 101200/– बनती है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी की ओर (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने के लिये मौके पर अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी को ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर क्रमशः 1012/811, 1014/741, 1015/741 सिवायचक भूमि में से ट्रेश नक्शा में अंकित लाल स्याही अनुसार माठ के सहारे–सहारे कुल 3113.15 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है।

(हस्ताक्षर) 9.5.2024
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पा.

पेज लगातार 03 पर...

न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द, एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 811/3 रकबा 1.20 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि में आने – जाने हेतु राजकीय सिवाचयक भूमि ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 1014/741 रकबा 1.99 हेक्टर में से 132 x 9 = 1188 + 521.61 = 1709.6 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 1012/811 रकबा 42.72 हेक्टर में से 449.54 + 954 = 1403.54 वर्गमीटर अर्थात कुल 1709.61 + 1403.54 = 3113.15 वर्गमीटर भूमि का रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार माठ के सहारे–सहारे रास्ता दिया जाना उचित है। इस हेतु प्रार्थी को 101200/– रूपये का अनुदान भुगतान जरिये चालान राजकोष में जमा करना होगा। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से 3113.15 वर्गमीटर रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 101200/– प्रार्थी से जरिये चालान के राजकोष में जमा करवाई जाकर प्रार्थी को खातेदारी भूमि ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 811/3 रकबा 1.20 हेक्टर भूमि किस्म बा.दो. में आने जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम अणेवा खसरा नम्बर 1014/741 रकबा 1.99 हेक्टर में से 132 x 9 = 1188 + 521.61 = 1709.6 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 1012/811 रकबा 42.72 हेक्टर में से 449.54 + 954 = 1403.54 वर्गमीटर अर्थात कुल 1709.61 + 1403.54 = 3113.15 वर्गमीटर भूमि का रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार माठ के सहारे–सहारे रास्ता दिया जाकर एवं राशि राजकोष में जमा होने के बाद ही रास्ते का समस्त रिकॉर्ड में अमल दरामद, नक्शे में तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी

निर्णय आज दिनांक 9/5/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

9.5.2024

सहायक कलक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रस्तावित रास्ता

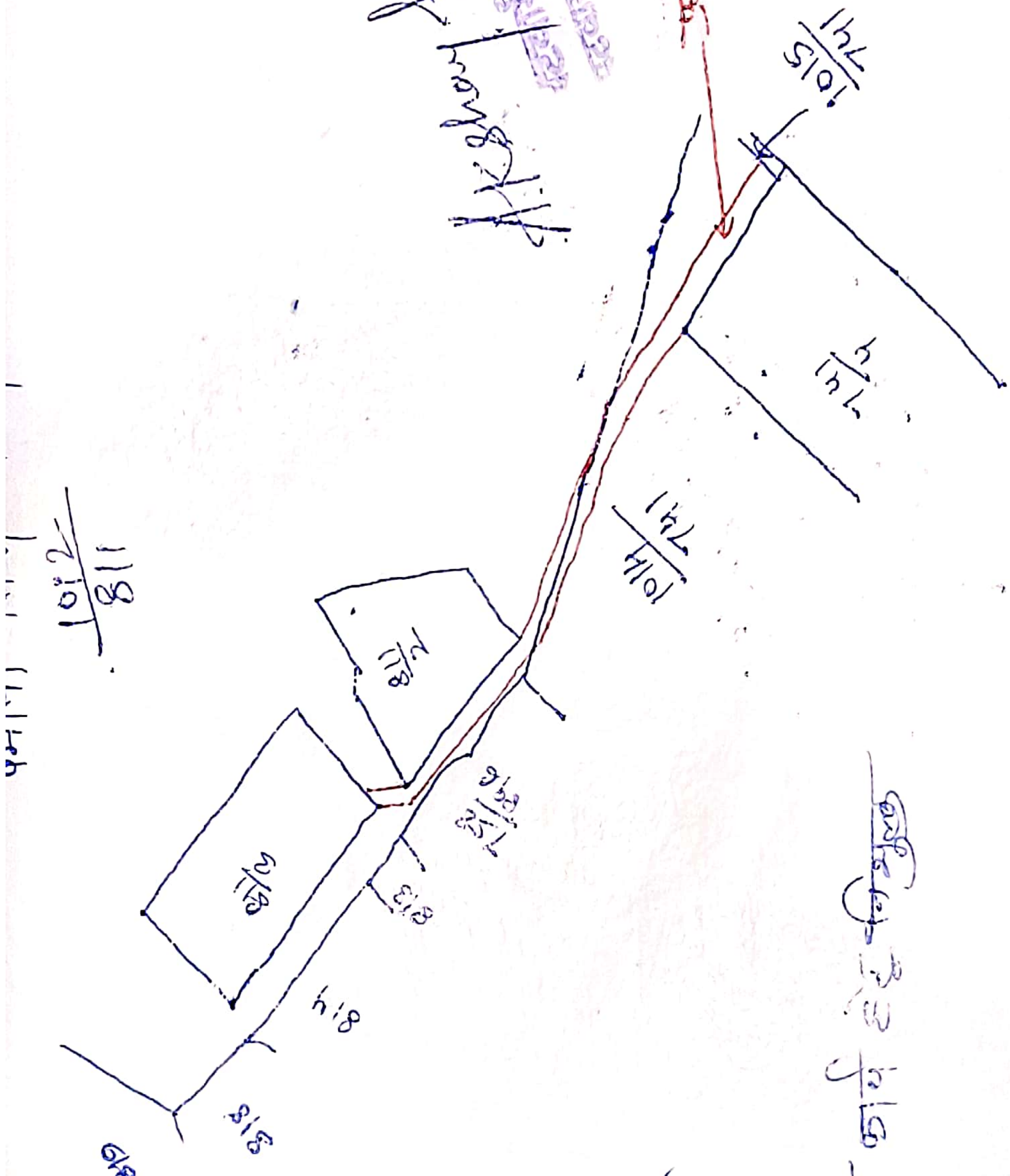

तहसीलदार देसूरी
जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)